



श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड-२४६१६६
Sri Dev Suman Uttarakhand University
Badshahithaul (Tehri Garhwal) Uttarakhand - 249199

पत्रांक:-२५५५/प्रशासन/एसडीएसयूवी/2025

दिनांक: २१ जुलाई, 2025

कार्यालय ज्ञाप

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल की स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश विवरणिका 2025-26 के **Clause 2.1 (ख)** में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।-

पूर्व नियम :-

Clause 2.1(ख) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/ महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम 2-1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं संबंधित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

संशोधित नियम :-

Clause 2.1 (ख) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2.1 (क) के अनुसार योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्तहोने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है। विद्यार्थी का विधिवत प्रवेश पूर्णतः नवीन होगा अर्थात् विद्यार्थी को विधिवत प्रवेश दिये जाने के उपरान्त उसे पूर्व में आबंटित नामांकन संख्या को निरस्त कराते हुये समर्थ पोर्टल के माध्यम से नई नामांकन संख्या आबंटित की जानी होगी।

अतः उपरोक्तानुसार **Clause 2.1 (ख)** को संशोधित समझा जाय।

(दिनेश चन्द्रा),
कुलसचिव।

।।। कार्यालय श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल ।।।

संख्या-२५५५/एसडीएसयूवी/प्रशासन/2025 दिनांक-२१ जुलाई, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. निदेशक, पं० ल० मो० शर्मा परिसर, ऋषिकेश।
4. संकायाध्यक्ष कला, पं० ल० मो० शर्मा परिसर, ऋषिकेश।
5. प्राचार्य/निदेशक, समस्त राजकीय/अशासकीय महाविद्यालय/निजी शिक्षण संस्थान सम्बद्ध श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
6. कार्यालय प्रति।

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव